# 'नीट और अन्य परीक्षाएं कैंसल होना सिस्टमैटिक फेलियर'

## कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने कहा, नीट पेपर लीक और अन्य परीक्षाएं रद्द होने से लाखों नौजवानों को सदमा लगा है

- पायलट ने राहुल गांधी के लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने का स्वागत किया और कहा कि, इससे इंडिया गठबंधन में ऊर्जा का संचार हुआ है।
- पायलट ने ओम बिड़ला को स्पीकर बनने पर बधाई दी और कहा कि, उम्मीद है कि, वे विपक्ष को भी बोलने का मौका देंगे।
- पायलट ने कहा, राजस्थान के भी हाल ठीक नहीं हैं। सरकार विपक्षी नेताओं पर कार्यवाही कर रही है, ऐसा कभी नहीं हुआ।

जयपुर, 26 जून (का.प्र.)। नीट परीक्षा और केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग सहित अन्य मुद्दों को लेकर जयपुर में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि, नीट धांधली देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। नीट पेपर लीक और परीक्षा विवादित होने के कारण लाखों करोड़ों नौजवानों को सदमा लगा है।

पायलट ने कहा कि, परीक्षा प्रणाली पर जो विश्वास है, उस पर सवाल खड़ा हुआ है। केंद्र सरकार ने शुरू में अड़ियल रवैया अपनाया था, उन्हें अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ी। जिस तरह से लीपा पोती कर बचाव करने का काम हो रहा है, वो शोभा नहीं देता है। लगातार लोगों में भ्रम फैल रहा है कि, हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है। आजाद भारत के इतिहास में आज सबसे ज्यादा शिक्षित बेरोजगार हैं। इसका समाधान ढूंढ ने के लिए सरकार को काम करना चाहिए। यह सरकार वो है जो चुनाव जीतने से पहले, काम करने से पहले 100 दिन की कार्य योजना बना रही थी और ओवर कॉन्फिडेंस में काम कर रही थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नौजवान हैं। उन्हें लेकर सरकार को पूरी कार्रवाई करनी चाहिए, जो लोग जिम्मेदार हैं, उनका बचाव नहीं होना चाहिए।

पायलट ने परीक्षाओं को लेकर कहा कि, नीट और बाकी परीक्षाओं को जो कैन्सल किया गया है, यह प्रतीक है कि यह सिस्टमैटिक फेलियर है। 10 साल तक सरकार सत्ता में रही भाषण दिए युवाओं के नाम पर वोट भी लिया, परीक्षा पर चर्चा, चाय पर चर्चा चलाई लेकिन युवाओं का जो विश्वास डगमगाया है, उसको बनाए रखना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है।

राजस्थान में भाजपा सरकार को लेकर पायलट बोले कि, राजस्थान के जो हाल बने हुए हैं वो ठीक नहीं हैं। बिजली पानी के जो हालात हमें दिखते हैं, मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध करवाने में सरकार नाकामयाब है। हम उपचुनाव मजबूती से लड़ेंगे। कोटा में जिस तरह कार्रवाई हुई है, कांग्रेस ने अनुमति लेने के बाद अपना आंदोलन किया, बिजली पानी के लिए आंदोलन था, बजाय इसके कि जनता को राहत दें, बल्कि नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष पर कार्रवाई करना, यह गलत है। हमने आंदोलन के जरिए जो बात रखी ,उस पर संज्ञान लेकर सरकार को सुविधा देने का काम करना चाहिए। सुविधा की जगह सरकार विपक्षियों पर कार्रवाई करे, राजस्थान में कभी ऐसा माहौल नहीं रहा है। यह सरकार के काम करने के तरीके पर सवालिया निशान है।

लोकसभा स्पीकर को लेकर पायलट ने कहा, स्पीकर को बधाई दी गई, तो कहा गया कि एक दिन में 147 सांसदों को निलंबित किया गया, वो इतिहास के लिए काला दिवस था। हम लोगों को संविधान को लोकतांत्रिक परंपराओं को और जो प्रोसीजर है उसको सबसे ऊपर रखते हैं। उम्मीद है,इस कार्यकाल में वैसी कोई घटना नहीं होगी। विपक्ष को बोलने का मौका दिया जाएगा।

पायलट बोले कि, परंपरा यह है कि अगर सत्ता पक्ष का स्पीकर बनता है, तो डिप्टी स्पीकर विपक्ष को मिलता है। हमारी सरकार के समय डिप्टी स्पीकर विपक्ष का था। हमारे समय पर स्वच्छ परंपरा के तहत ऐसा हुआ है।

राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनने को लेकर पायलट बोले कि, इससे न केवल कांग्रेस, बल्कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ इंडिया अलायंस में ऊर्जा का संचार हुआ है। राहुल गांधी ने लगातार सरकार को चुनौती दी है। संसद के अंदर और संसद के बाहर लोगों की आवाज बने हैं। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने हैं तो विपक्ष की उम्मीदें बढ़ी हैं। लाखों करोड़ों लोगों ने इंडिया अलायंस को वोट डाला था, उनको उम्मीद बनी है कि, अब राहुल गांधी सच की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे।

## केजरीवाल 3 दिनों की सी.बी.आई. हिरासत में

नयी दिल्ली, 26 जून। कथित आबकारी नीति घोटाला मामले के आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की एक विशेष अदालत ने बुधवार को तीन दिनों के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की हिरासत में भेजने का आदेश पारित किया।

राऊज़ एवेन्यू स्थित अवकाशकालीन विशेष न्यायाधीश अमिताभ रावत की अदालत के समक्ष सीबीआई ने केजरीवाल से पूछताछ के लिए उनकी पांच दिनों की हिरासत की गुहार लगाई थी।

- दिल्ली की विशेष अदालत ने मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को आबकारी नीति घोटाले में सी.बी.आई. के सुपुर्द किया।

सीबीआई ने धन शोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की गिरफ्तारी के बाद तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में बंद केजरीवाल से मंगलवार को पूछताछ की थी। अदालती आदेश पर पूछताछ के लिए आज उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में पेश किया गया।

# मु.मंत्री ने बिड़ला को स्पीकर चुने जाने पर बधाई दी

नई दिल्ली/जयपुर, 26 जून (का.सं.)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को नई दिल्ली में दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने पर ओम बिड़ला को हार्दिक बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि, बिरला के विस्तृत संसदीय ज्ञान एवं कुशल कार्यप्रणाली का लाभ सदन के समस्त सम्मानित सदस्यों को पूर्व की भांति प्राप्त होगा। बिरला का दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष चुना जाना राजस्थान के लिए गौरव का क्षण है। उनका यह कार्यकाल भी उल्लेखनीय उपलब्धियों से परिपूर्ण होगा।

- मुख्यमंत्री भजनलाल ने ओम बिड़ला के दो बार स्पीकर बनने को राजस्थान के लिए गौरव का क्षण बताया।
- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नई दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए आपातकाल के खिलाफ लोकसभा में रखे गए प्रस्ताव का समर्थन किया।

*मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ओम बिड़ला को दूसरी बार स्पीकर पद पर चुने जाने पर हार्दिक बधाई दी।*

शर्मा ने नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 25 जून, 1975 को देश में लगाए गए आपातकाल के विरूद्ध बुधवार को लोकसभा में आया प्रस्ताव स्वागत योग्य है। उन्होंने कहा कि, तत्कालीन सरकार द्वारा देश के नागरिकों के अधिकार छीन लिए गए थे। लोकसभा में इस प्रस्ताव के जरिए दमन और शोषण के खिलाफ आवाज उठाने वाले सत्याग्रहियों के संघर्ष को सम्मान मिला है।

# तमिलनाडु विधानसभा में जात आधारित जनगणना का प्रस्ताव पारित

- तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन की ओर से पेश प्रस्ताव को विधानसभा में सर्वसम्मति से ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।
- स्टालिन ने कहा, समाज तभी विकसित अर्थव्यवस्था बन सकता है जब सभी वर्गों को शिक्षा व नौकरी में समान अवसर मिले।

चेन्नई, 26 जून। तमिलनाडु विधानसभा ने बुधवार को एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें केंद्र से जनगणना और जाति आधारित जनगणना तत्काल कराने का आग्रह किया गया, ताकि देश के नागरिकों को समान अधिकार, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और नौकरियों में समान अवसर सुनिश्चित किए जा सकें।

मुख्यमंत्री एवं द्रविड़ मुनेत्र कझगम (द्रमुक) अध्यक्ष एम के स्टालिन की ओर से पेश किए गए प्रस्ताव को सर्वसम्मति से ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।

स्टालिन ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा, यह सदन मानता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को शिक्षा, अर्थव्यवस्था और रोजगार में समान अधिकार और समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए नीतियां बनाने के वास्ते जाति आधारित जनगणना आवश्यक है। इसलिए यह सदन सर्वसम्मति से केंद्र सरकार से जनसंख्या जनगणना कार्य तत्काल शुरू करने का आग्रह करता है।

सदन में प्रस्ताव पेश करते हुए स्टालिन ने कहा कि, समाज तभी सही मायने में विकसित अर्थव्यवस्था में तब्दील हो सकता है, जब उसके सभी वर्गों के लिए शिक्षा और नौकरियों में समान अधिकार और अवसर सुनिश्चित किए जाएं।

द्रमुक के इस रुख को मजबूती से दोहराते हुए कि, राष्ट्रव्यापी जाति आधारित जनगणना अवश्य की जानी चाहिए, उन्होंने कहा कि दशकीय जनसंख्या जनगणना , ब्रिटिश शासन के समय से ही जनगणना अधिनियम 1948 के तहत केंद्र सरकार द्वारा की जाने वाली एक विस्तृत 100 साल पुरानी प्रक्रिया है।

जनगणना अधिनियम के नियम 3 के अनुसार, केवल केंद्र सरकार को ही जनगणना करानी चाहिए, लेकिन सार्वजनिक रूप से इस बात पर बहस हो रही है कि राज्य सरकार सांख्यिकी संग्रह अधिनियम 2008 के तहत जाति जनगणना कर सकती है।

उन्होंने कहा कि 2008 का अधिनियम केवल राज्यों को सामाजिक-आर्थिक आंकड़े एकत्र करने की अनुमति देता है, लेकिन उसी अधिनियम की धारा 3 (ए) राज्यों को भारत के संविधान की अनुसूची 7 में उल्लिखित विषयों से संबंधित आंकड़े एकत्र करने से रोकती है, उन्होंने कहा कि जनसंख्या जनगणना को 7वीं अनुसूची के 69वें विषय के रूप में संहिताबद्ध किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा, कानूनी रूप से वैध जनगणना केवल जनगणना अधिनियम 1948 के तहत ही की जानी चाहिए, जो एक केंद्रीय अधिनियम है। इसलिए, हम आग्रह कर रहे हैं कि केवल केंद्र सरकार द्वारा जनगणना करना उचित होगा।

## जे.डी.ए...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

बताया कि, हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 30 जुलाई 2021 को एक जनहित याचिका में आदेश जारी करते हुए मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से रीको कांटा तक सड़क की चौड़ाई बढ़ाने को कहा था। खंडपीठ ने सड़क की चौड़ाई के बीच आने वाले अतिक्रमणों पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए थे।

याचिका में कहा गया कि, खंडपीठ के इस आदेश की पालना में जेडीए सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहा है।

इस दौरान जेडीए ने याचिकाकर्ताओं को 19 जून 2024 को धारा 72 का नोटिस दिया। जेडीए की इस कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा गया कि केवल सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के मामले में ही धारा 72 के तहत नोटिस दिया जा सकता है। जबकि याचिकाकर्ताओं की जमीन निजी खातेदारी की है।

इसके अलावा उनके पास निजी सोसायटी के पट्टे हैं। ऐसे में उन्हें धारा 72 के तहत नोटिस नहीं दिए जा सकते। खंडपीठ ने अतिक्रमियों पर कार्रवाई करने को कहा था, जबकि याचिकाकर्ता अतिक्रमियों की परिभाषा में नहीं आते हैं। ऐसे में उनके निर्माणों को नहीं तोड़ा जाए। जिस मामले पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने जेडीए को याचिकाकर्ताओं के निर्माण तोड़ने पर रोक लगाते हुए जेडीए को जवाब पेश करने को कहा है।

# तमिलनाडु त्रासदी में मरने वालों की संख्या बढ़ कर 63 हुई

## 74 पीड़ितों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई

- राष्ट्रीय महिला आयोग ने घटना पर स्वतः संज्ञान लेकर अपने स्तर पर जांच शुरू कर दी।

चेन्नई, 26 जून। तमिलनाडु के कल्लकुरिची जिले में जहरीली शराब त्रासदी में बुधवार को तीन और लोगों की मौत के साथ मरने वालों की संख्या बढ़ कर 63 हो गयी तथा 74 पीड़ितों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गयी। इस बीच, राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने अपनी जांच शुरू कर दी है। यहां प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आज सुबह सलेम के सरकारी मोहन कुमारमंगलम मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल तथा पुडुचेरी के जेआईपीएमईआर में मौतों की सूचना मिली।

प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार सरकारी कल्लकुरिची मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 32 लोगों की मौत हुई, जबकि सलेम सरकारी अस्पताल में 22, सरकारी विल्लुपुरम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में चार और जेआईपीएमईआर में पांच लोगों की मौत हुई। तीन महिलाओं समेत कुल 88 लोगों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है। दो महिलाओं और एक ट्रांसजेंडर समेत कुल 74 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गयी है। इस त्रासदी के सिलसिले में अब तक कुल 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मीडिया रिपोर्टों के आधार पर घटना का स्वत: संज्ञान लिया है और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है तथा मामले की जांच के लिए आयोग की सदस्य एवं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता खुशबू सुंदर को नियुक्त किया है।

## कश्मीर में सेना की संयुक्त कार्यवाही में तीन आतंकी मरे

जम्मू, 26 जून। जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में बुधवार को सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने आतंकवाद विरोधी अभियान के तहत तीन आतंकवादियों को ढेर कर दिया। मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद भी बरामद किया गया है। नगरोटा (जम्मू) स्थित व्हाइट नाइट कोर (16 कोर) ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में बताया कि भारतीय सेना और स्थानीय पुलिस ने एक संयुक्त अभियान में तीन कट्टर आतंकवादियों को मार गिराया। पोस्ट में आगे कहा गया कि, स्वचालित असॉल्ट राइफलों सहित बड़ी मात्रा में युद्ध सामग्री बरामद की गई है। ऑपरेशन अभी जारी है। इस बीच ज़ोनल पुलिस जम्मू के पुलिस प्रवक्ता ने एक आतंकवादी के खात्मे के बारे में आधिकारिक जानकारी साझा करने के बाद कहा कि, जिला डोडा के गंदोह, भद्रवाह सेक्टर में चल रहे संयुक्त अभियान में दो और आतंकवादियों को मार गिराया गया है।

## कन्हैया ...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

व मो.गौस का पीछा करके उन्हें पकड़ा। बाद में पुलिस टीम ने दोनों आरोपियों को पुलिस के आला अफसरों को सौंप दिया।

गौरतलब है कि पिछली सुनवाई पर कन्हैयालाल के बेटे के बयान दर्ज हुए थे। उसने बयानों में कहा था कि, उसके पिता को मारने वाले आरोपियों के तार पाक से जुड़े हुए हैं। घटना वाले दिन उसे फोन पर सूचना मिली थी कि, दो लड़कों ने उसके पिता की हत्या कर दी है। वह दुकान पर पहुंचा तो पिता कन्हैयालाल खून में लथपथ मिले।

गौरतलब है कि, 28 जून, 2022 को आरोपियों ने हत्याकांड को अंजाम देकर उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। मामले में एनआईए ने जांच करते हुए रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद सहित अन्य के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया था। मामले में आरोपी फरहाद मोहम्मद को जमानत मिल चुकी है। जबकि पाक निवासी आरोपी सलमान और अबू इब्राहिम फरार चल रहे हैं।

## पंजाब में "ऑपरेशन ...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

डी. बचाओ आंदोलन शुरु करने का निर्णय लिया है, वहीं बादल की पत्नी हरसिमरत कौर बादल ने असंतुष्ट नेताओं के भाजपा के साथ कथित सम्पर्क होने के आरोप लगाए हैं। हरसिमरत कौर हाल ही सम्पन्न लोकसभा चुनावों में निर्वाचित होने वाली शिरोमणि अकाली दल की एकमात्र सांसद हैं। कौर ने संसद में पत्रकारों से कहा कि "भाजपा की इन कठपुतलियों को महाराष्ट्र की राजनीति से सबक लेना चाहिए, जहाँ बागी नेता हाशिए पर ला दिए गए हैं। भाजपा पर एस.ए.डी. को निगलने के प्रयास का आरोप लगाते हुए हरसिमरत ने कहा कि इस बात की कोई संभावना नहीं है कि उनकी पार्टी एक बार फिर से एन.डी.ए. की सहयोगी बन जाएगी। हरसिमरत कौर नरेन्द्र मादी सरकार में मंत्री रह चुकी हैं।

लोकसभा चुनावों में एस.ए.डी. का प्रदर्शन चिंताजनक रहा है। पार्टी का वोट शेयर वर्ष 2019 में 27.45 प्रतिशत था जो अब घटकर 13.42 रह गया है। बागी नेताओं ने मीटिंग के बाद एक प्रैस कॉन्फ्रैंस को संबोधित किया, जिसमें अकाली दल के राजनीतिक रूप से कमज़ोर पड़ने पर चिन्ता व्यक्त की गई। चन्दूमाजरा ने कहा कि "हम आसमां से ज़मीन पर आ गिरे हैं। पार्टी नेतृत्व में परिवर्तन ज़रूरी है।" एक अन्य बागी नेता बीबी जागीर कौर ने कहा कि "उन्होंने इस मुद्दे को सुखबीर बादल के समक्ष उठाने की कोशिश की किन्तु वह सुनते ही नहीं हैं।"

इस बीच, सुखबीर बादल की पार्टी के जिलाध्यक्षों से मुलाकात के बाद अकाली दल ने कहा कि "भाजपा प्रायोजित निराश तत्व पार्टी को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं।

## संसद के ...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

कहा कि वे विपक्ष को भी अपनी आवाज उठाने का अवसर दें। उन्हें बोलने दे ना कि उनका निलम्बन करें। बिना चर्चा के कोई बिल पारित ना होने दिया जाए। विपक्ष की उपस्थिति को महत्व दें क्योंकि वे भी भारत की जनसंख्या के एक बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं।

संसद टकराव और विद्वेष से भरी रहने वाली है, क्योंकि विपक्ष गुस्स में आग बबूला है और मोदी सरकार संघ परिवार से टकराव और आतंरिक विरोधाभासों के कारण बैकफुट पर हैं।

# एक जुलाई से लागू होंगे नए अपराधिक कानून

## तीनों अपराधिक कानून गत लोकसभा में पारित हुए थे

- देश की न्याय प्रणाली में बदलाव करने के लिए अंग्रेजों के जमाने के अपराधिक कानूनों की जगह गत लोकसभा में तीन नए अपराधिक कानून पारित किए गए थे।
- ये कानून है, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद 25 दिसम्बर को इन कानूनों को अधिसूचित किया गया था।

नयी दिल्ली, 26 जून। देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन करने और पुराने पड़ चुके कानूनों को समाप्त करने के उद्देश्य से पिछली लोकसभा में पारित तीनों नये आपराधिक कानून- भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को आगामी एक जुलाई से लागू किये जाने की तैयारी कर ली गयी है।

इन विधेयकों को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद गत 25 दिसम्बर को अधिसूचित किया गया था।

सूत्रों के अनुसार गृह मंत्रालय ने नए आपराधिक कानूनों को लागू करने के लिए राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के साथ नियमित बैठकें की हैं। राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश नए आपराधिक कानूनों को लागू करने के लिए प्रौद्योगिकी, क्षमता निर्माण और जागरूकता पैदा करने के मामले में पूरी तरह तैयार हैं। नए आपराधिक कानूनों के प्रमुख प्रावधानों में घटनाओं की ऑनलाइन रिपोर्ट करना, किसी भी पुलिस थाने पर प्राथमिकी यानी ज़ीरो एफआईआर दर्ज करना, प्राथमिकी की निःशुल्क प्रति देना, गिरफ़्तारी होने पर सूचना देने का अधिकार, गिरफ्तारी की जानकारी प्रदर्शित करना, फॉरेंसिक साक्ष्य संग्रह और वीडियोग्राफी, त्वरित जांच, पीड़ितों को मामले की प्रगति का अपडेट देना, पीड़ित महिलाओं और बच्चों के लिए निःशुल्क चिकित्सा उपचार, इलेक्ट्रॉनिक समन, पीड़िता के महिला मजिस्ट्रेट द्वारा बयान, पुलिस रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराना, न्यायालय में सीमित स्थगन, गवाह सुरक्षा योजना, जेंडर समावेश,सभी कार्यवाहियां इलेक्ट्रॉनिक मोड में होना, बयानों की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग, विशेष परिस्थितियों में पुलिस थाने जाने से छूट, जेंडर-न्यूट्रल अपराध, सामुदायिक सेवा, अपराधों के लिए अपराध की गंभीरता के अनुरूप जुर्माना, सरलीकृत कानूनी प्रक्रियाएं एवं तीव्र एवं निष्पक्ष समाधान शामिल हैं।

सरकार ने इन तीनों कानूनों को लागू करने के लिए पुलिस कर्मियों, जेल कर्मियों, अभियोजकों, न्यायिक अधिकारियों, फॉरेंसिक कर्मियों के साथ-साथ आम जनता सहित सभी पक्षों के बीच विभिन्न पहल शुरू की है ताकि तीनों नए कानूनों के बारे में व्यापक जागरूकता फैले और इन कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

## नीट पेपर ...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

ने जेल में बंद अभियुक्त चिंटू उर्फ बलदेव और मुकेश को हिरासती पूछताछ के लिए 27 जून 2024 से 04 जुलाई 2024 तक के लिए सीबीआई को सौंपे जाने का आदेश आदर्श केंद्रीय कारागार बेउर के अधीक्षक को दिया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि, दोनों अभियुक्तों की चिकित्सकीय जांच करने के बाद उनसे पूछताछ की जाएगी और फिर चिकित्सकीय जांच कराकर 04 जुलाई 2024 को दिन के 11:00 बजे तक न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना है।

केंद्र सरकार के आदेश के बाद सीबीआई ने इस मामले में पटना के शास्त्रीनगर थाना में दर्ज प्राथमिकी संख्या 358/2024 के आधार पर 23 जून 2024 को अपनी प्राथमिकी आरसी 224/2024 भारतीय दंड विधान की धारा 120 बी, 406, 407, 408 और 409 के तहत दर्ज की है और मामले का अनुसंधान अपने हाथ में ले लिया है। विशेष अदालत में यह मामला आरसी 6ई/2024 के रूप में दर्ज किया गया है।

# कर्नाटक में मांग उठी ...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

बनवाना चाहते हैं, के करीबी सूत्रों के अनुसार, यदि अन्य समुदायों से भी उपमुख्यमंत्री होंगे तो ऐसा करने से उन समुदायों का प्रेम व विश्वास पार्टी को मिलेगा।

संयोगवश, यह इस मांग ने उस समय तब जोर पकड़ लिया था जब लोकसभा चुनाव बीच में आ गए थे। चूंकि अब चुनाव समाप्त हो चुके हैं। अत: पार्टी सूत्रों का कहना है कि यह मांग पुन: उठ रही है।

अब मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री के बीच पार्टी में मतभेद इस तनाव के चल रहा है कि पार्टी के बहुत से नेता इस बात से परेशान हैं कि शिवकुमार के पास मलाईदार मंत्रालय हैं, जैसे- जल संसाधन, बेंगलुरू डवलपमैंट एंड टाउन प्लानिंग, बेंगलुरू शहरी जिला हैं। इसके अतिरिक्त वे कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष भी हैं।

कर्नाटक में कांग्रेस द्वारा लोकसभा की 9 सीटों पर विजय प्राप्त करने के बाद, इनमें से चार सीटें आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की हैं। अत: इन समुदायों के नेता चाहते हैं कि उन्हें ईनाम मिलना चाहिए।

इस मांग को यह कहते हुए आगे बढ़ा दिया गया है कि दो महत्वपूर्ण जातियाँ- लिंगायतों व वोक्कालिगा ने भाजपा को वोट दिए थे इसलिए यह अच्छा विचार है कि एस.सी., एस.टी. तथा पिछड़ा वर्ग समुदाय के नेताओं को ईनाम दिया जाए क्योंकि इन समुदायों के लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया था।

साफ है कि इस बात से अप्रसन्न उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार यह उम्मीद कर रहे हैं कि पार्टी के सभी कार्यकर्ता नेतृत्व के निर्देश पर चलेंगे।

कांग्रेस पार्टी के नेता प्रियांक खड़गे ने पहले ही इस विचार को खारिज़ कर दिया था और उन्होंने कहा था कि यदि उपमुख्यमंत्रियों की नियुक्ति करने से सब कुछ मिल जाता है तो फिर एक मुख्यमंत्री होना चाहिए और उसके बाद सबको उपमुख्यमंत्री बना दिया जाना चाहिए। परन्तु क्या यह संभव हो सकता है उन्होंने यह कहते हुए प्रश्न किया कि यह ऐसा कुछ मुद्दा नहीं है जिस पर पार्टी द्वारा गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

## एक्सिस बैंक ...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

ने भी उसके पक्ष में एनओसी जारी कर दी। लेकिन जब उसने संपत्ति के मूल दस्तावेज मांगे तो बैंक ने कहा कि वे खो गए हैं और मिलते ही लौटा देंगे। बैंक के इस सेवा दोष को परिवादी ने उपभोक्ता आयोग में चुनौती दी। जिस पर सुनवाई करते हुए आयोग ने बैंक पर हर्जाना लगाया है।

# 'एक मिनट के साइलैंस की व्यवस्था...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

भी जनता की आवाज़ का प्रतिनिधित्व करता है, और इस बार विपक्ष पिछली बार की तुलना में अधिक संख्या में जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा है।"

उन्होंने कहा, सवाल यह नहीं है, कि सदन का संचालन कितने प्रभावी तरीके से होता है। सवाल यह है, कि सदन में भारत के लोगों की आवाज़ उठाने की कितनी अनुमति किस हद तक दी जाती है। इसलिए यह विचार कि विपक्ष की आवाज़ बंद कर आप सदन को सहजरुप से चला सकते हैं, सही नहीं है। इस चुनाव ने दिखा दिया है कि भारत की जनता चाहती है, कि विपक्ष संविधान की रक्षा करे। देश के संविधान को बचाकर आप भी अपना कर्तव्य निभा सकते हैं।

समाजवादी पार्टी, जो 37 सांसदों के साथ सदन की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, के नेता अखिलेश यादव ने बिड़ला को बधाई देते हुए उम्मीद जताई कि कोई पक्षपात नहीं होगा। स्पीकर सदन में सत्तापक्ष और विपक्ष को समान अवसर देगें। उन्होंने कहा कि वे उम्मीद करते है कि जन प्रतिनिधियों की आवाज़ नहीं दबाई जाएगी। सांसदों के निलम्बन जैसी कार्यवाही कर सदन की गरिमा को आहत नहीं किया जाएगा। उनका संकेत दिसम्बर 2023 की घटना की तरफ था जब एक सप्ताह में 100 सांसदों का निलम्बन किया गया था।

यादव ने कहा, कि इस गरिमामय पद की बड़ी जिम्मेदारी है, निष्पक्ष होना। यादव ने कहा, कि स्पीकर का अंकुश विपक्ष पर ही नहीं, सत्ता पक्ष पर भी होगा। उन्होंने कहा "सदन आपके इशारे पर चले, इसका उलटा ना हो जाए।"

जब बिड़ला सदस्यों से बधाई ले रहे थे तब एक घटना ने उन्हें नाराज़ कर दिया। बिड़ला से सबसे पहली लताड़ शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल को मिली। जब उन्होंने कुछ सांसदों पर चुनाव जीतने के लिए विचारधारा से समझौता करने का कटाक्ष किया।

बिड़ला ने उन्हें स्पीकर के निर्वाचन के पहले ही दिन राजनैतिक बयानबाजी नहीं करने को कहा। बादल ने स्पीकर से आग्रह किया कि, 17वीं लोकसभा के मुकाबले इस बार क्षेत्रीय दलों को ज्यादा समय दिया जाए।

बिड़ला ने खीज कर कहा, क्या मैंने आपको पहले समय नहीं दिया था। बादल ने कहा, आपने दिया था पर मेरा आग्रह है, इस बार ज्यादा समय दिया जाए।

होशियारपुर के आप सांसद राजकुमार छाबेवाला ने विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद नहीं देने की बात कही तो बिड़ला ने उन्हें रोक दिया। छाबेवाला ने कहा अटल बिहारी वाजपेयी के शासन में डिप्टी स्पीकर टी.डी.पी. का था, इस पर उत्तेजित होकर बिड़ला ने उन्हें बैठ जाने को कहा।

श्रीनगर के सांसद आगा मेंहदी की टिप्पणी सर्वाधिक गंभीर थी जिसे बिड़ला ने रोक दिया।

मेंहदी ने कहा, क्या सदन के सदस्यों को आतंकवादी कहा जा सकता है। उन्होंने धारा 370 का बिल एक घंटे में पारित करने का आरोप लगाया, जिस पर बिड़ला ने कहाकि, बिल पर 9 घंटे चर्चा हुई थी।

स्पीकर की आपातकाल संबंधी टिप्पणी पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि, "यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि स्पीकर ने सद्भाव पूर्ण माहौल को अपने "विभाजनकारी" बयान से खत्म कर दिया। यह 49 साल पुरानी घटना है, इसका उल्लेख जरूरी नहीं था। अगर आप ऐसे दिन जब सद्भाव, सहयोग व आम सहमति का संदेश जाना चाहिए था, इस दिन ऐसी बात करना दुर्भाग्यपूर्ण है।"

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908